556

J. D. A.

LOCATION PLAN
AS PER MASTER PLAN / SECTOR PLAN

1 यह मानचित्रा योजना अनुमोदन की कार्यवाही हेतु तैयार किया गया है।
योजना की भूमि के संबंध में 90 बी की कार्यवाही की जा चुकी है तथा यह भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

उपायुक्त, जोन–10

2. योजना की भूमि का तकनीकी परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है।

सहायक नगर नियोजक–10

3 यांजना की सीमा का राजस्व रिकार्ड के अनुसार मौके पर सत्यापन तथा योजना मानचित्रा पर खसरा सीमा मेरे द्वारा अंकित की गई है।

तहसीलदार/अमीन, जोन–10

4. योजना मानचित्रा का मौके अनुसार सत्यापन मेरे द्वारा किया गया है।

साईट अभियनता जोन–10

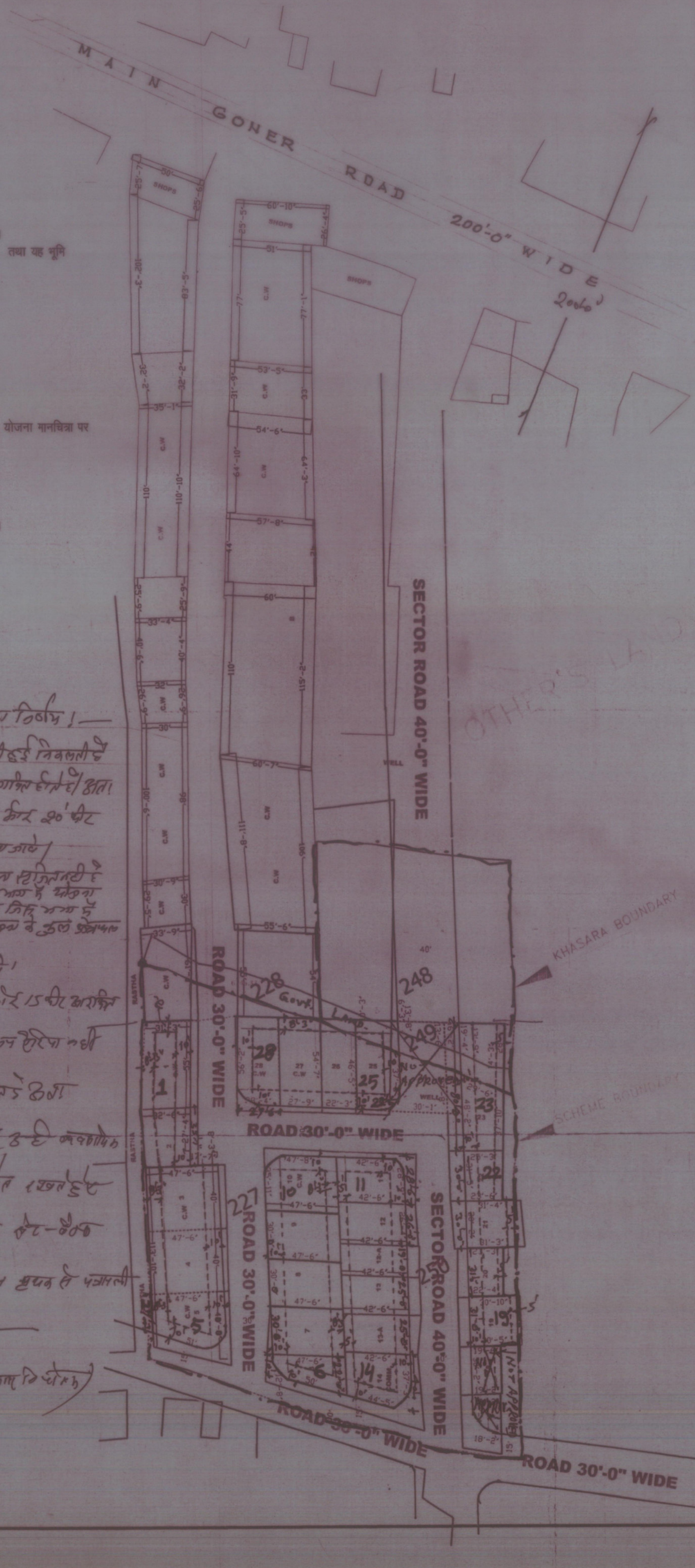
MAIN GONER ROAD 200'-0" WIDE
2040
SHOPS
SECTOR ROAD 40'-0" WIDE
OTHER'S LAND
KHASARA BOUNDARY
SCHEME BOUNDARY
WELL
RASTHA
228 Govt. Land
248
249
227
ROAD 30'-0" WIDE
ROAD 30'-0" WIDE
ROAD 30'-0" WIDE
ROAD 30'-0" WIDE
ROAD 30'-0" WIDE
SECTOR ROAD 40'-0" WIDE
1
5
6
10
11
14
19
22
23
25
28

जे.पी.सी. (एल.पी.) की बैठक 112वीं दि. 7/11/07 का निर्णय।—

1- सेक्टर 34 में अंकित 40' सेक्टर रोड योजना के पूर्व में लगती हुई निकलती है जिस कारण योजना के भूखण्ड सं. 11 से 14, तथा 17 से 25 प्रभावित होते हैं। अतः उक्त भूखण्डों में से वर्तमान स्थित सड़क के केन्द्र से दोनों ओर 20' फीट कुल सड़क हेतु आरक्षित रखते हुए शेष क्षेत्रफल का नियमन किया जावे।

2- साईट द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र में खसरा नं. 248 पर योजना प्रस्तावित नहीं है तथा खसरा नं. 228 जो कि राजकीय भूमि है उसके कुछ भाग में योजना प्रस्तावित है। अतः राजकीय भूमि को सम्मिलित करते हुए शेष जिस भाग में योजना स्वीकृत है उसी को योजना सीमा मानते हुए योजना के कुल क्षेत्रफल की गणना की जावे।

3- योजना की सभी आन्तरिक सड़कें को 30 फीट किया जावे।

4- योजना के दक्षिण हिस्से में खसरा सीमा के केन्द्र से दोनों ओर 15 फीट आरक्षित रखते हुए 30 फीट चौड़ी सड़क रखी जावे।

5- जिन भूखण्डों को सेट बैक लगाने के पश्चात् बिल्ड-अप एरिया नहीं मिलता है उन्हें गैर [illegible] किया जावे।

6- भूखण्ड सं. 24 पूर्ण रूप से 40 फीट सेक्टर रोड में प्रभावित है अतः अस्वीकृत किया जावे।

7- जिन भूखण्डों में व्यवसायिक गतिविधियाँ चल रही है उन्हें व्यवसायिक राशि जमा कराने के पश्चात् ही लीज-डीड जारी की जावे।

8- योजना के पश्चिम स्थित रास्ते को मौका अनुसार यथावत रखते हुए अनुमोदित किया जावे।

9- योजना मानचित्र में भवन विनियम 2000 अनुसार सेट-बैक रखे जावें।

10- योजना के सम्मिलित अधिक भू-क्षेत्रफल के संबंध में भूखण्ड से पत्रावली पर प्रशासनिक आदेश प्राप्त किया जावे।

(उप. नगर नियोजक प्रोजेक्ट) (वरिष्ठ नगर नियोजक)

मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार भू उपयोग
भूखण्डों की निर्माण स्थिति :-

			आवासीय
1.	पूर्ण / आंशिक निर्मित भूखण्ड –	B	20
2.	चार दीवारी निर्मित भूखण्ड –	C.W	8
3.	खाली भूखण्ड –	V	0
	कुल भूखण्ड –		28

AREA ANALYSIS AS PER PROPOSED:-

S.NO.	LAND USE	AREA (SQ.YDS)	PERCENTAGE(%)
	RESIDENTIAL	3875.13 SQ.YDS	57.49%
	INSTITUTIONAL		
	ROAD	2711.18 SQ.YDS	40.19%
	GOVT. LAND	157.02 SQ.YDS	2.32%
	FACILITY		
TOTAL AREA AS PER SCHEME BOUNDARY		6746.33 SQ.YDS	100%

योजना की मौके जाँच, सर्वेक्षण एवं मास्टर विकास योजना 2011 की सड़कों भू-उपयोग एवं क्षेत्रफल इत्यादि से संबंधित पूर्ण जाँच कर स्थिति योजना मानचित्र में अंकित की गई है।

वास्तुविद् का नाम

रजिस्ट्रेशन नं0

योजना की भूमी की रा0भू0रा0 अधिनियम की धारा 90 बी की कार्यवाही एवं मौके पर भूमि का प्रमाणिकरण मेरे द्वारा किया गया। योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम
तहसीलदार

नाम :-
उपायुक्त जोन

जे0पी0सी / जी0 एल0 सी0 की बैठक संख्या दिनांक
की अनुपालना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

NAME OF SOCIETY :- AMBESHWAR G.N.S.S.	
NAME OF SCHEME :- GANESH VIHAR-C	
ZONE NO.10	SECTOR NO. 34
SCALE 1"= 50'	DRG. NO.

A.T.P. ZONE	D.T.P.	S.T.P.

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR